


सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (Government of India : Ministry of Home Affairs)
हैदराबाद : Hyderabad- 500 052.

Inter Office Note

Subject: Notified Recruitment Rules – Regarding

A copy of notified Recruitment Rules for the following posts are enclosed herewith for uploading the same on the Academy Website under “Recruitment Rules” column please.

- a. Wireless Operator
- b. Junior Engineer (Electronics)
- c. Senior Scientific *Assistant*
- d. Photographic Officer
- e. Painter cum Artist
- f. Administrative Officer Grade-II
- g. Junior Scientific Officer


(Dr. K P A Ilyas)
Asstt. Director (Estt)

Asstt. Director (IT)

No. 19011/1/2009/Estt/RRs/A-5

Dated: 24 .12. 2020

Internal

A1, A2, A3 and B-2 : To fill up the vacant posts as per the method of recruitment.

<p>Advertisement or Corporate Firm or with documented proof as a freelance in respect of preparation of design or layout of pamphlets, posters, maps, charts, free hand lettering work in English and Hindi.</p> <p>Desirable: Experience in printing techniques or photography and its application to designing or Computer software for graphics, designs, illustrations, etc.</p>			
<p>In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made</p>	<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</p>	
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>	
<p>Deputation: Officials under the Central Government or State Governments or Union Territories:- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment in level-5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300); and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note-1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years further extendable as per Government of India orders.</p> <p>Note-2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>	<p>Group-'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Joint Director - Chairman; (ii) Deputy Director -Member; (iii) Assistant Director -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>	

[F. No. 23011/57/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 176.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह

मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) भर्ती नियम, 2020 है।
(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— वह व्यक्ति —
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती लए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II)	02*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसूचिकीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600-151,100 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष		(i) प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत ; और (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा 50 प्रतिशत	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा —</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन—मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900—142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव रखते हों :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री ; और</p> <p>(ii) सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में प्रशासनिक, स्थापना कार्य में तीन वर्ष का अनुभव ।</p> <p>टिप्पणी 1 — वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (44900—142400 रु.) में रहने वाले विभागीय प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-III, में जिनकी उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा है और जिनके पास प्रतिनियुक्ति पद हेतु लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है, उन पर बाहरी लोगों के साथ भी विचार किया जाए और नियुक्ति के लिए विभागीय प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-III, के चयनित होने के मामले में, पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p> <p>टिप्पणी 2 —प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 3 — प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

[फा.सं. 23011/30/2018—पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2020

G.S.R. 176.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Administrative Officer (Grade-II) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer Grade-II in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Administrative Officer Grade-II) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) to the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**— No person,-
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the above said post:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, Other Backward classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer Grade II	2*(2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	(i) 50 percent by deputation/promotion; and (ii) 50 percent by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation / Promotion: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories : (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department, or	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

56171/2020/O/o AD(ESTT.)

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : दिसम्बर 5, 2020/अग्रहायण 14, 1942

1099

<p>(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience;</p> <p>(i) Bachelor Degree from recognised university or Institution; and</p> <p>(ii) three years experience in administration, establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or autonomous body or statutory body or recognised university or research institute.</p> <p>Note 1:- The departmental Administrative Officer Grade-III in Level-7 of the pay matrix (Rs. 44900-142400) with two years of regular service in the Grade and having the educational qualification and experience prescribed for deputationists shall also be considered along with the outsiders and in case departmental Administrative Officer Grade-III selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>Note 2:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3:- The maximum age-limit for deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.</p>	
---	--

[F. No.23011/30/2018-PT]
D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 177.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2020 हैं।
(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।